जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर

ए.बी.ए. नंबर 81/2026

परिवाद पत्र संख्या 319सी/2025

कुन्दन कुमार बनाम बिहार राज्य।

04.04.2026 आवेदक **कुन्दन कुमार** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता श्री पियूष राज के द्वारा संचालित किया गया। **अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक इसके अतिरिक्त अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन के पैरा 3 के अनुसार आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।**

उभय पक्षों को सुना।

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी प्रिंस राज का कथन संक्षेप में यह है कि परिवादी ने दिनांक 25.09.2023 को मो0 40,000/– रुपए, दिनांक 26.09.2023 को मो0 1,25,000/– रुपए कुंदन कुमार को विक्की कुमार की उपस्थिति में जमीन का केवाला करने के लिए चेक सं0 403039 के माध्यम से दिया तथा दस्तावेज बनाया गया। पुनः दिनांक 20.05.2024 को नकद एक लाख रुपए दिया। दस्तावेज में दिनांक 24.08.2024 तक शेष रकम मो0 3,15,000/– रुपए देकर केवाला करने की बात हुई थी, लेकिन आवेदक ने केवाला नहीं किया। दिनांक 20.09.2024 को केवाला करने के लिए कहा। दिनांक 24.12.2024 को पुनः परिवादी ने केवाला करने के लिए कहा, तो अभियुक्तगण उग्र होकर गाली–गलौज करने लगे तथा मारपीट को उतारू हो गये। परिवादी ने दिनांक 27.12.2024 को अभियुक्तों के विरुद्ध वकालतन नोटिस भेजा, लेकिन अभियुक्तों ने जबाव नहीं दिया। तब परिवादी ने परिवाद पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 420, 406, 467, 468, 471/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत परिवाद पत्र दाखिल किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है और उसे इस केस में झूठा फंसाया गया है। परिवादी के द्वारा दी गयी चेक रिजेक्ट होने के बावजूद भी आवेदक ने परिवादी पर केस नहीं किया। आवेदक पर लगाई गयी धाराएं पोषणीय नहीं हैं। आवेदक के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा धारा 420, 406, 34 बीएनएस के अंतर्गत संज्ञान लिया गया, जो त्रुटिपूर्ण है, जबकि बीएनएस के अंतर्गत धाराएं कुल 358 तक ही आती हैं। परिवाद पत्र देरी से दाखिल किया गया है, जिसका कोई

लगातार

04.04.2026. कारण नहीं दिया गया है। आवेदक बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आवेदक पर परिवादी से जमीन बेचने हेतु पैसा लिया गया, परंतु केवाला नहीं करने एवं पैसा वापस नहीं तथा गाली–गलौज करने का आरोप लगाया गया है। अभिलेख से ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच दिनांक 25.09.2023 को आपसी सहमति से एकरारनामा बना, जिसपर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं। इस एकरारनामा में जमीन खरीदने हेतु कुल 5,80,000/– रुपए में बात तय हुई थी। अग्रिम राशि के रूप में कुल 1,65,000/– रुपए नगद तथा चेक के माध्यम से भुगतान किया गया, लेकिन आवेदक द्वारा जमीन का रजिस्ट्री नहीं किया गया है। यह प्रतीत होता है कि आवेदक धोखाधड़ी के उद्देश्य से ऐसा कार्य किया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति के आलोक में **आवेदक कुन्दन कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
Sd/-
(राकेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 04.04.2026.

प्रतिलिपिः– श्रीमती निष्ठा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित आदेश की प्रति साथ मूल अभिलेख वापस भेजा जाता है।

लेखापित

(राकेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 04.04.2026.